भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न 225
मंगलवार, 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना

***225. श्री सतीश कुमार गौतमः**
श्री जुगल किशोरः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेषकर संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर सहित देशभर में सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर गोदामों का मानचित्रण किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विशेषकर जम्मू में सहकारी खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई वित्तीय या नीतिगत उपाय प्रस्तावित हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सहकारी संस्थाओं को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), नेफेड, एनसीसीएफ और राज्य भंडारण निगमों से जोड़ा जा रहा है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम क्या हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी गई है ।

श्री सतीश कुमार गौतम और श्री जुगल किशोर द्वारा "सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 5 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 225 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जी हां, मान्यवर । देश में खाद्यान्न की भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने दिनांक 31 मई, 2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदित किया जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है । इस योजना के अधीन मौजूदा भंडारण अवसंरचना के मानचित्रण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है जिसमें जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भंडारण की कमी वाले स्थानों की पहचान तथा उन्हें भूमि और संचालन हेतु तैयार पैक्स के साथ मानचित्रण करना शामिल है । इस प्रयोजन हेतु मौजूदा भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता, उनकी क्षमता का उपयोग, भंडारण की कमी, प्रस्तावित गोदामों की क्षमता, आवेदक पैक्स की व्यवहार्यता, प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति, कनेक्टिविटी, लाजिस्टिक्स, आदि की जांच और मूल्यांकन करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति, अर्थात जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) को कार्य सौंपा गया है । इसका उद्देश्य ग्रामीण भंडारण की कमियों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए पैक्स को लक्षित करना है ।

पायलट परियोजना के अंतर्गत, 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के अधीन गोदामों के निर्माण के लिए 500 से भी अधिक पैक्स की पहचान की गई है, जिनमें से राजस्थान के 24 पैक्स में गोदामों का निर्माण पूर्ण हो गया है और दिनांक 17.07.2025 को इनका उद्घाटन हो चुका है। इसके साथ ही, संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के राजबाग कठुआ (एमपीसीएस राजबाग) में पायलट परियोजना को निष्पादित किया जा रहा है तथा योजना का विस्तार एफसीआई द्वारा चिह्नित भंडारण की कमी वाले जिलों जैसे कुलगाम, शोपियां, बारामुला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, पुंछ, राजौरी, डोडा, रियासी और रामबन में किया गया है।

(ख): इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचन योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन उद्योग योजना (PMFME) इत्यादि के अभिसरण के माध्यम से पैक्स के स्तर पर गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण शामिल है । पैक्स को गोदामों के निर्माण हेतु लिए गए ऋण के लिए AIF योजना के अधीन ब्याज अनुदान और खाद्यान्न भंडारण के निर्माण के लिए AMI योजना के अधीन सब्सिडी का

लाभ दिया जाता है । कृषि और किसान कल्याण विभाग ने AMI योजना के अधीन निम्नलिखित संशोधन भी किए हैं:

- मार्जिन धनराशि की आवश्यकता को 20% से घटाकर 10% किया गया है ।
- निर्माण लागत को मैदानी क्षेत्र के लिए ₹3000–3500/MT से संशोधित करके ₹7000/MT तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ₹4000/MT से संशोधित करके ₹8000/MT किया गया है ।
- पैक्स के लिए सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर 33.33% किया गया है (मैदानी क्षेत्र के लिए ₹875/MT से ₹2333/MT और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ₹1333.33/MT से ₹2666/MT किया गया) ।
- पैक्स के लिए आंतरिक सड़क, तौलकांटा, चाहरदीवारी, इत्यादि जैसी सहायक अवसंरचना के निर्माण पर कुल देय सब्सिडी का अतिरिक्त 1/3 (एक तिहाई) सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है ।

इसके अलावा, राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ राज्य इस परियोजना के अधीन गोदाम निर्माण के लिए अपने स्वयं की राज्य-स्तरीय योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के राजबाग कठुआ में अनाज भंडारण हेतु पहले ही ऋण सुविधा प्रदान की जा चुकी है, जिसमें मार्जिन मनी की व्यवस्था संघ राज्यक्षेत्र की पूंजी निधि (कैपिटल फण्ड) से की गई है। संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चिह्नित अन्य जिलों में पैक्स गोदामों के निर्माण हेतु भी इसी प्रकार की सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

(ग): पैक्स को इस योजना के माध्यम से सक्रिय रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF), राज्य भांडागारण निगमों (SWCs) के साथ एकीकृत किया जा रहा है । इन एजेंसियों को योजना के अधीन पैक्स की पहचान करने, गोदामों के निर्माण, किराया आश्वासन प्रदान करने और प्रचालनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है । पैक्स स्तर पर गोदामों के निर्माण के लिए भंडारण कमियों के मानचित्रण हेतु तथा विशेष रूप से गैर- DCP राज्यों में किराया आश्वासन जारी करने में FCI महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । राष्ट्र-स्तरीय प्रापण और विपणन सहकारी समितियां होने के नाते, NAFED और NCCF अपने प्रापण क्षेत्रों में पैक्स की पहचान करने, किराया आश्वासन जारी करने, प्रस्ताव तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देने और निर्मित गोदामों की संपूर्ण प्रचालनात्मक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भांडागारण निगम (CWC) और राज्य सहकारी विभागों के

समन्वय से राज्य भांडागारण निगमों (SWCs) को समयबद्ध किराया प्रतिबद्धताओं को सुविधाजनक बनाने का कार्य सौंपा गया है ।

(घ): इस एकीकरण के प्रमुख उद्देश्य और परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- विकेंद्रीकृत भंडारण को प्रोत्साहित करना और केंद्रीकृत प्रापण पर निर्भरता घटाना ।
- किराए पर लेना सुनिश्चित करके वर्ष भर पैक्स के गोदामों का उपयोग सुनिश्चित करना ।
- पैक्स की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित होने में सक्षम बनाना ।
- अंतिम छोर तक खाद्यान्न प्रदाय को सशक्त करना और फसल कटाई के पश्चात के नुकसानों को घटाना।

****